तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिविवरण पत्र	नम्बर व ... हुक्म की ... में कार...
20/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28.11.19 को पेश हों।	
28/11/19	पत्रा० पेश हुई वकील वादी हाजिर बहस पूर्ण हुई पत्रा० वास्ते आदेश दि० 2.12.19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	
2.12.19	पत्रा० पेश हुई वकील वादीगण हाजिर वाद वादीगण खारिज किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी की जावे पत्रा० तकमील जाब्ता से बाद दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर	

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 215/2008

1. सत्यनारायण
2. सुरेन्द्र
3. महेन्द्र पुत्रगण दीपचन्द
4. करण सिंह पुत्र गोरूराम जाति माली निवासीगण झाझड. हाल आबाद ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज.

– वादीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर/ भूमिधारक

– प्रतिवादी –

दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात अं0 धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित वकील वादी – श्री बजरंग सिंह शेखावत

निर्णय

दिनांक – 2-12-19

वकील वादीगण ने यह दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गोरू का बास पटवार हल्का बेरी, तहसील सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 856 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा पुख्ता अवस्थित है, जिसके नवीन खसरा नम्बर दोराने सेटलमेण्ट 2626 रकबा 0.93 है0, 2627 रकबा 1.20 है0, 2744 रकबा 0.56 है0, 2744/2894 रकबा 0.25 है0 अंकित किये गये। कुल रकबा 3.04 अंकित किया गया जबकि 3.34 है0 अंकित होना चाहिये। वादीगण का रकबा 0.30 है0 कम कर दिया गया जबकि मौके पर वादीगण 3.34 है0 पर काबिज है तथा सीमाएं भी सैकड़ों सालों से कायम है। इसी प्रकार पुराना खसरा नम्बर 853 रकबा 1 बिस्वा , 853/2 रकबा 1 बिस्वा व 853/33 रकबा 51 बीघा 8 बिस्वा ग्राम गौरू का बास पटवार हल्का बेरी में अवस्थित है। जिसके नये खसरा नम्बर 2745 रकबा 0.05 है, 2746 रकबा 0.04 है0, 2747 रकबा 4.33 है0, 2770 रकबा 0.04 है0, 2771 रकबा 1.21 है0, 2772 रकबा 2.22 है0, 2744/2898 रकबा 0.30 है0 किता 7 कुल रकबा 13.19 है0 बनाये गये जबकि पुराने खसरा नम्बर के हिसाब से रकबा 12.99 है0 होता है किन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने गलत तौर पर इनका रका 13.19 है0 दर्ज कर दिया । ख0 नं.2744/2898 रकबा 0.30 है0 पर कदीम से वादीगण काबिज है तथा यह वादीगण की भूमि का हिस्सा है। जिसको उद्घोषित

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

करवाने के वादीगण अधिकारी है। इस प्रकार इनका रकबा 0.30 है0 ज्यादा कर दिया गया जबकि इनका कब्जा 12.99 है0 पर ही है। सभी खातेदार अपने भूमियों के काबिज काश्तकार है तथा खेतों की पुरानी डोल सींव मौके पर कायम है। मौजुदा अंकन के कायम रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर भी विपरीत असर होता है, जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है। वादीगण ने दिनांक 2.6.200 को प्रतिवादी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने को कहा तो उन्होंने अपनी असमर्थता बताई । जिसके कारण वाद करण उत्पन्न हुआ। अतः वादी का वाद स्वीकर किया जाकर वादी को ख0 न0 2626 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 2627 रकबा 1.20 है0, ख0 न0 2744 रकबा 0.56 है0, ख0 न0 2744/2894 रकबा 0.25 है0 व ख0 न0 2744/2898 रकबा 0.30 है0, किता 5 रकबा 3.34 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गई। जो तहसीलदार सीकर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक भू. अ/2013/2879 दिनांक 11.10.2013 को रिपोर्ट भिजवाई गई।

प्रकरण में बहस वकील वादी सूनी गई । वकील वादी ने रिकार्ड के आधार पर व कब्जा काश्त के आधार पर दावा स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली, रिपोर्ट तहसीलदार एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का बगौर अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार वादी का दावा सही है। लेकिन वादी जिस खसरा नमबर 2744/2898 रकबा 0.30 है0 की खातेदारी उद्घोषणा का दावा कर रहा है उसकी खातेदारी अन्य खातेदारों के नाम से है जिन्हे वादीगण ने पक्षकार नहीं बनाया है। बिना उनके रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

आज्ञा

अतः वाद वादीगण आवश्यक पक्षकार के आभाव में अस्वीकार किया जाता है। वादीगण संबधित खसरा नम्बर के खातेदारों को पक्षकार बनाकर नया दावा प्रस्तुत कर सकते है। डिक्री जारी हो।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 2 12/19 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर